दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 19-08-2025

बिलासपुर | मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष 11, 2082

फैसला • दंपती के 27 साल पुराने रिश्ते का अंत, पत्नी 2020 से बेटी को लेकर अलग रह रही थी, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने माना क्रूरता

प्राचार्य बनते ही बदला व्यवहार, पति को बेरोजगार होने पर ताना, मिला तलाक

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

वकील पति की मदद से पत्नी प्रिंसिपल बनी, लेकिन इसके बाद उसका व्यवहार बदल गया। कोविड के दौरान पति की आय बंद होने पर वह बेरोजगार होने का ताना देने लगी, इसके बाद बेटी को लेकर अलग रहने लगी। फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी नामंजूर कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने पति के व्यवहार को क्रूरता माना है। पति के पक्ष में तलाक की डिक्री मंजूर की गई है।

भिलाई निवासी अनिल कुमार सोनमणि उर्फ अनिल स्वामी और उनकी पत्नी का 26 दिसंबर 1996 को हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ था। दोनों के दो बच्चे हैं। बेटी 19 साल और बेटा 16 साल का है। शादी के बाद सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन समय के साथ उनके बीच विवाद बढ़ने लगे। पत्नी ने पीएचडी करने के बाद प्रिंसिपल की नौकरी जॉइन की। पेशे से वकालत करने वाले पति का आरोप है कि इसके बाद उसका व्यवहार बदल गया और वह अक्सर छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने लगी।

पत्र लिखकर पति- बेटे से रिश्ता तोड़ दिया

कोरोना काल में कोर्ट बंद हो गए थे, इससे पति की वकालत से आय बंद हो गई। ऐसे में पत्नी ने बेरोजगार कहकर ताने मारना शुरू कर दिया। अगस्त 2020 में एक विवाद के बाद वह बेटी को लेकर अपनी बहन के पास चली गई। कुछ दिनों बाद लौटी, लेकिन 16 सितंबर 2020 को फिर से चली गई। उसने एक पत्र छोड़ा, जिसमें लिखा था कि वह अपनी मर्जी से पति और बेटे से सारे रिश्ते तोड़ रही है।

बिना उचित कारण के छोड़ देना है परित्याग

कानून में परित्याग का मतलब वैवाहिक संबंधों में उस स्थिति से है, जब पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण, बिना सहमति और जीवनसाथी की इच्छा के विरुद्ध स्थायी रूप से साथ छोड़ देता है। परित्याग साबित करने के लिए जरूरी है कि परित्यक्त पति या पत्नी को छोड़ने का कोई उचित कानूनी या नैतिक आधार न हो। यदि अलगाव का कारण परित्यक्त व्यक्ति का अनुचित व्यवहार या गंभीर उत्पीड़न है, तो उसे परित्याग नहीं माना जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) में परित्याग को तलाक का एक वैधानिक आधार माना गया है। इसी तरह क्रूरता को भी परिभाषित किया गया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने दोनों आधार पर अपील मंजूर की है।

पति ने कहा- कई कोशिशों के बाद भी नहीं लौटी

पति ने पत्नी को वापस लाने कई प्रयास किए, लेकिन वह नहीं लौटी, इसके बाद पति ने कोर्ट में तलाक का मामला पेश किया, इसमें तर्क दिया कि पत्नी ने जानबूझकर और बिना कारण वैवाहिक घर छोड़ा। कई बार मनाने के प्रयास के बावजूद वह नहीं लौटी। बेटे को उसके पास छोड़ दिया और बेटी को अपने साथ ले गई। घर में रहते हुए पत्नी ने गाली-गलौज, ताने और अपमानजनक शब्द कहकर मानसिक क्रूरता की।

फैमिली कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट ने पलटा

पति ने दुर्ग फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में इसे खारिज कर दिया। इसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में अपील की। समन और अखबार में प्रकाशन के बावजूद पत्नी अदालत में पेश नहीं हुई। हाई कोर्ट ने पति और गवाहों के बयान, पत्नी का छोड़ा हुआ पत्र और दस्तावेजों के आधार पर फैमिली कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने बिना किसी वैध कारण के पति को छोड़ा है। उसके व्यवहार से मानसिक क्रूरता साबित होती है। इसके अलावा अब दोनों के बीच पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है।